रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1999/भाद्र 24, 1921
No. 565] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1999/BHADRA 24, 1921

भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1999

का. आ. 765 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन करने पर केंद्र सरकार ने उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन सिक्किम बैंक लि. के संबंध में 04 सितंबर, 1999 को कारोबार की समाप्ति से 03 दिसंबर,1999 तक (दोनों तारीखें शामिल हैं) अधिस्थगन का आदेश पारित किया है । केंद्र सरकार ने उपर्युक्त विनियमन के खंड (3) के अधीन कुछ देयताओं तथा दायित्वों का भुगतान करने के लिए उपर्युक्त बैंककारी कंपनी को निर्देश भी जारी किए हैं। यूनियन बैंक आफ इंडिया के साथ सिक्किम बैंक लि. का समामेलन करने के लिये, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त धारा की उप-धारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक योजना तैयार की है और उसके मसौदे की एक-एक प्रति पूर्वोक्त दोनों कंपनियों को उक्त धारा की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसार सुझावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों तो, मसौदा योजना की प्राप्ति से दो सप्ताह की अवधि के भीतर भेजने के लिए प्रेषित की हैं । मसौदा योजना की प्रतियां पूर्वोक्त दो बैंकिंग कंपनियों के सदस्य, जमाकर्ता या उधारकर्ता उनसे प्राप्त कर सकते हैं । यदि सिक्किम बैंक लि. अथवा यूनियन बैंक आफ इंडिया के किसी सदस्य, जमाकर्ता या उधारकर्ता को मसौदा योजना के संबंध में कोई सुझाव देने हों या

आपत्ति करनी हो तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर-I, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई -400 005 को भेज दें ।

[डी बी ओ डी सं. 142ई/11.12.01/98-99]

वाई.एस.पी. थोरात, क्षेत्रीय निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

NOTICE

New Delhi, the 15th September, 1999

S. O. 765 (E).—It is hereby notified that on the application of the Reserve Bank of India under Sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 the Central Government has made an order of moratorium in respect of the Sikkim Bank Ltd., under Sub-section (2) of the said Section for the period from the close of business on 4 September 1999 upto and inclusive of 3 December 1999. The Central Government has also issued directions to the said banking company under Clause (3) thereof authorising payment of certain liabilities and obligations. In order to effect an amalgamation of the Sikkim Bank Ltd. with Union Bank of India, the Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it by Sub-section (4) of the said section, has prepared a scheme and forwarded it, in draft, to each of the aforesaid banking companies for suggestions and objections, if any, in terms of clause (a) of Sub-section (6) of the said section, within a period of two weeks from the receipt of the draft scheme. Copies of the draft scheme can be obtained from the aforesaid two banking companies by any of their members, depositors or creditors. If any member, depositor or creditor of the Sikkim Bank Ltd., or of Union Bank of India has any suggestions or objections with regard to the draft scheme, he may,

within a period of two weeks from the date of the publication of this notice, send his suggestions or objections to the Chief General Manager, Department Banking Operations and Development, Reserve Bank of India, Central Office, World Trade Centre, Centre-1, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005 for consideration under clause (b) of Sub-section (6) of Section 45 of the said Act.

[DBOD-No. 142E/11.12.01/98-99]
Y.S.P. THORAT, Regional Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054